



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (0);

पत्रांक : CCE/ISDC/MoU/2020-21/83;

दिनांक : 19 July 2021

कार्यालय आदेश

निदेशालय कॉलेज शिक्षा को सत्र 2021-22 में विभाग/महाविद्यालयों में निःशुल्क सहयोग हेतु प्राप्त होने वाले MoU का विभाग स्तर पर प्रशासनिक, विधिक एवं वित्तीय दृष्टि से आंतरिक परीक्षण/मूल्यांकन कर अनुशंसा करने हेतु निम्नलिखित 04 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है-

1. डा. सुनील कुमार	सह आचार्य विधि शाखा	समन्वयक
2. डा. सौमित्र नाथ झा	सह आचार्य	सदस्य
3. डा. पूजा रावल	सहा. आचार्य	सदस्य
4. सुश्री भावना धामाई	लेखाधिकारी	सदस्य

उपरोक्त समिति निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तावों का परीक्षण कर अनुशंसा करेगी-

- प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का वित्तीय भार सरकार/विभाग/महाविद्यालय/विद्यार्थियों पर नहीं हो।
- प्रस्ताव में किसी भी प्रकार की कानूनी जटिलता अथवा समस्या नहीं हो।
- प्रस्ताव की उपादेयता स्पष्टतः उल्लिखित हो।

प्रस्तावों के प्राप्त होने पर इनका नियमानुसार परीक्षण करके समिति प्रस्तावों को अपने सुझावों और अनुशंसा/कमियों के साथ प्रभारी अधिकारी, नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ को भेजेगी, जो कि इन प्रस्तावों की अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करवायेंगे।

संदेश नायक, IAS
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

पत्रांक: CCE/ISDC/MoU/2020-21/83;

दिनांक : 19 July 2021

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, आकाशि, जयपुर।
5. उपविधि परामर्शी, आकाशि, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारीगण, आकाशि, जयपुर।
7. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ